भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1106
02.12.2024 को उत्तर के लिए

पेड़ों की अवैध कटाई

1106. श्री आनंद भदौरियाः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में वृक्षों की अवैध कटाई हो रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष अवैध रूप से काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा वृक्षों की अवैध कटाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): वन एवं वृक्ष संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। देश के वन एवं वृक्ष संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कानूनी तंत्र मौजूद हैं, जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 तथा राज्य वन अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम एवं नियम, आदि शामिल हैं। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अंतर्गत वनों और वृक्षों के संरक्षण के लिए उचित कार्रवाई करते हैं। पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित मामलों का पता चलते ही संबंधित वन अधिनियमों के तहत संज्ञान लिया जाता है और अपराधियों के खिलाफ सक्षम न्यायालय/सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाही की जाती है। पेड़ों की अवैध कटाई से संबंधित विवरण संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा रखा जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य वन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत शक्तियों द्वारा समर्थित वन क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करके राज्य के वन क्षेत्र में अवैध कटाई

को नियंत्रित किया जाता है। निजी क्षेत्रों और अन्य भूमियों में वृक्षों की अवैध कटाई की घटनाओं को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत रोका और नियंत्रित किया जाता है।

अवैध कटाई के मामलों के वृक्षों का मूल्यांकन स्थानीय वन प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है और संबंधित आंकड़ों का विवरण संबंधित राज्य सरकारों के द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित वन अपराध रजिस्ट में रखे जाते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर)-2021 के अनुसार, आईएसएफआर-2019 में प्रकाशित आकलन की तुलना में देश में वन आवरण और वृक्ष आवरण में क्रमशः 1,540 वर्ग किलोमीटर और 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में प्रकाशित पिछले आकलन की तुलना में कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है।

राज्य सरकारें पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए विभिन्न उपाय, जैसे कि किसी भी अवैध/निषिद्ध गतिविधि की रोकथाम के लिए फ्रंट-लाइन वन कर्मचारियों द्वारा वन क्षेत्रों में नियमित गश्त, गश्ती शिविरों/अवैध शिकार विरोधी शिविरों की स्थापना, कार्यनीतिक और संवेदनशील स्थानों पर जांच चौकियां, सतर्कता और उड़न दस्तों की तैनाती, संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण, आदि कर रही है। इसके अलावा, राज्य वन विभाग, वन संरक्षण गतिविधियों में समुदायिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, शैक्षिक कार्यक्रम आदि भी चला रहे हैं।

******